न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भरतपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – **दामोदर सिंह आर.ए.एस.**

प्रार्थना पत्र संख्या – **9/19**

रामस्वरूप पुत्र स्व. श्री खूबी उम्र 75 वर्ष जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम झारौली तहसील व जिला भरतपुर (राज0)

———**प्रार्थी**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब भरतपुर।

———**अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति – 1. श्री एम. एस. डागुर अभिभाषक (प्रार्थी)
2. पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार भरतपुर (अप्रार्थी)

निर्णय **दिनांक : 23.02.2021**

1. प्रार्थीगण ने दिनांक 21.06.19 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 विरूद्ध अप्राथी इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी का जन्म ग्राम झारोली तहसील व जिला भरतपुर में अब लगभग 75 वर्ष पूर्ण यानि सम्वत 2000 के आस पास हुआ है। 4–5 माह की उम्र में ही उसके पिता का देहान्त हो गया है। प्रार्थी का पंचाग (पत्रा) से नाम जैसाकि उसकी मां ने रामस्वरूप रखा गया था लेकिन सम्वत 2003 के आस पास जब प्रार्थी के पिता का देहान्त हुआ और उनके द्वारा छोडी आराजी पर प्रार्थी के नाम अंकित कराया गया तो भाई बन्दुओं ने रामचरन पुत्र खूबीराम लिखवा दिया और इसी तरह से रामस्वरूप के स्थान पर अब तक प्रत्येक राजस्व अभिलेख (जमाबंदी व खसरा गिरदावरी) एवं जमाबन्दी में संलग्न वंशावली (सजरा) में रामचरन पुत्र खूबीराम का अंकन होता चला गया जो आज तक चला आ रहा है तथा गांव में रामस्वरूप उर्फ रामचरन पुत्र खबीराम एक ही व्यक्ति है। खूबीराम जमीदार/विश्वेदार थे इसलिये उनके नाम अंकन खेवट ढाल वांछ सन्वत 2003 में प्रार्थी के नाम मालिक एवं खुद काश्त के इन्द्राज किये गये हैं जमीदार एवं विश्वेदार उन्मूलन अधिनियम के प्रभाव में आने के वाद उक्त अधिनियम की धारा 5(4) व 28(1) के अनुसार प्रार्थी को रामचरन के नाम से खातेदार अधिकार दिये जाकर राजस्व अभिलेख में खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया है जो गलत है। यह गलती स्वयं राजस्व कर्मचारियों की है उन्होने मौके पर जाकर प्रार्थी व उसके संरक्षकों मां आदि से इस सम्बन्ध में कोई जांच आदि नहीं की है औद सीधे प्रार्थी का नाम ''रामस्वरूप'' नही लिख ''रामचरन'' लिख दिया है जो कतई गलत है। विधि एवं मौके की स्थिति के विपरीत है। राशन कार्ड, पत्रिय पत्र, वोटर लिस्ट एवं अन्य व्यवहारिक निजी एवं अन्य प्रलेखों में भी यही नाम

रामस्वरूप पुत्र खूबीराम ही अंकित किये है। इस प्रकार प्रार्थी की पहचान उसके सभी जगह नाम रामस्वरूप पुत्र खूबीराम से होती है इसलिये राजस्व अभिलेख में जो नाम ''रामचरन'' अंकित हो रहा है वह काबित निरस्ती है। दिनांक 08.06.2019 को प्रार्थी ने तहसीलदार भरतपुर से इस गलत नाम को शुद्ध करने हेतु निवेदन किया तो उन्होंनं रामचरन के स्थान पर रामस्वरूप नाम अंकित करने से मनाकर दिया और कहा है कि इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय से कोई शुद्धीकरण की सूचना व आदेश लाने पर ही यह शुद्धीकरण किया जा सकेगा।

2. प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार भरतपुर ने उपस्थित होकर जबाब प्रार्थना पत्र पेशकर बताया कि प्रार्थी का नाम तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा पूर्ण जानकारी कर विरासत का नामान्तकरण दर्ज किया गया था।

3. प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी हाल सम्वत 2071–74, नकल निसान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी सम्वत 2003, नकल खसरा सम्वत 2008, नकल जमाबन्दी सम्वत 1986, नकल जमाबन्दी सम्वत 2012, नकल जमाबन्दी सम्वत 2016, फोटोप्रति भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, फोटोप्रति आधार कार्ड, फोटोप्रति राशन कार्ड, फोटोप्रति भामाशाह कार्ड, फोटोप्रति ग्राम पंचायत झारौली का पत्र की प्रति पेश की।

4. प्रार्थी के अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार भरतपुर की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये अवगत कराया कि प्रार्थी के 4–5 माह की उम्र में ही पिता का देहान्त हो गया था। विरासत के नामान्तकरण में प्रार्थी का नाम रामचरन पुत्र खूबीराम अंकित कर दिया गया। जबकि प्रार्थी का सही नाम रामस्वरूप है। प्रार्थी द्वारा पेश किये गये समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम रामस्वरूप अंकित है। इसलिए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये प्रार्थी के समस्त राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम रामचरन के स्थान पर रामस्वरूप दर्ज किया जावे।

अप्रार्थी पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार भरतपुर ने अपनी बहस में जबाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये अवगत कराया कि प्रार्थी का नाम तत्कालीन पटवारी द्वारा पूर्ण जानकारी कर विरासत का नामान्तकरण दर्ज किया गया था एवं प्रार्थना पत्र की सभी बातों का अस्वीकार करते हुये प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रार्थी के अभिभाषक एवं अप्रार्थी पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार भरतपुर की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हाल जमाबन्दी सं. 2071–74 के खाता नं. 88 खसरा नं. 135/0.33, 136/0.35, 285/0.69, 30/0.51, 31/0.61, 310/0.16, 312/0.35, 433/480/0.31, 454/0.42, 66/0.14, 79/0.30 कित्ता 11 कुल रकवा 4.17 हैक्टेयर ग्राम झारौली में रामचरन पुत्र खूबीराम अंकित है। नकल निसान क्षेत्रफल के अनुसार गत आराजी खसरा नम्बर 47 रकवा 3 बीघा 3 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 30/0.51 हैक्टेयर, 48 रकवा 3 बीघा 14 विस्वा से 31/0.61 हैक्टेयर, 36

रकवा 1 बीघा 2 विस्वा से 66/0.14 है., 78 रकवा 1 बीघा 14 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 79/0.30 हैक्टेयर, 336 मिन. 4 बीघा 18 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 135/0.33 हैक्टेयर, 336 मिन. से हाल खसरा नम्बर से 136/0.35 हैक्टेयर, 210 रकवा 3 बीघा 8 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 285/0.69 हैक्टेयर, 211 रकवा 13 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 285/0.69 हैक्टेयर, 230 रकवा 1 बीघा 1 विस्वा से हाल 310/0.16 हैक्टेयर, 240 रकवा 1 बीघा 19 विस्वा से हाल 312/0.35 हैक्टेयर, 396 रकवा 2 बीघा 12 विस्वा से हाल खसरा नम्बर 454/0.42 हैक्टेयर, 389 मिन. से हाल खसरा नम्बर 433/480/0.31 हैक्टेयर निर्मित किये गये है। नकल जमाबन्दी सं. 2012–15 के अनुसार खाता नं. 112 के गत खसरा नं. 211 रकवा 13 विस्वा पर रामचरन का नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी सं. 2016–19 के अनुसार खाता नं. 112 के गत आराजी खसरा नं. 211 रकवा 13 विस्वा पर रामचरन के नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी सं. 2012–15 के खाता नं. 39 के अनुसार गत आराजी खसरा नं. 396 रकवा 2 बीघा 12 विस्वा पर रामस्वरूप का नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी सं. 2012–15 के खाता नं. 57 के गत आराजी खसरा नं. 47/3.03, 48/3.14, 230/1.01, 78/1.14, 36/1.02, 336/4.18, 389/2.07 बीघा कुल किता 6 कुल रकवा 17 बीघा 19 विस्वा पर रामचरन का नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार पुराने राजस्व अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त आराजी के कुछ खसरे रामस्वरूप एवं कुछ खसरे रामचरन के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में इन्द्राज सं. 2003 के राजस्व रिकार्ड के अनुसार चले आ रहे है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के लागू होने के बाद किसी प्रकार की त्रुटि होना प्रार्थी द्वारा नहीं बताया गया है। मेरी विनम्र राय में उपरोक्त दोनों अधिनियम के लागू होने से पूर्व के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की संक्षित कार्यवाही के द्वारा किया जाना उचित नहीं है। उसमें परिवर्तन दावे के जरिये, दस्तावेजी एवं मौखित साक्ष्यों के आधार पर विचारण के उपरान्त ही किया जा सकता है, तदनुसार प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद लाना होगा।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य से प्रमाणित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः आज्ञा है कि –

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर